वन विभाग

हरियाणा सरकार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक का स्थाई आदेश कमांक ....2.. /2011

विषयः– **वन विभाग के कार्यकारी अमले को पुलिस विभाग के समान समयबद्ध पदोन्नति देने बारे।**

—00—

इस स्थाई आदेश का उद्देश्य वन विभाग के कार्यकारी अमले के विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की लम्बे समय तक पदोन्नति न होने को बाधा को दूर करते हुए उनकी भलाई के माप दण्ड हेतू है जो कर्मचारी 12,22 व 30 वर्ष की स्वच्छ सेवा रिकार्ड के साथ सेवा पूर्ण कर चुके है, परन्तु उनको हरियाणा राज्य वन अधीनस्थ (ग्रुप–ग कार्यकारी अमला) सेवा नियमावली 1998 के तहत पदोन्नति प्राप्त नही हुई है। राज्य सरकार ने अपने यादि कमांक 6451–व–5–2011/1311 दिनांक 3.2.2011 द्वारा वन रक्षक, वन दरोगा, उप वन राजिक को छूट प्राप्त वन दरोगा, छूट प्राप्त उप वन राजिक, छूट प्राप्त वन राजिक के पदों पर पदोन्नति करने का निर्णय लिया है। यह पदोन्नति निम्न शर्तो के आधार पर होगी।

(1) 12 वर्ष की सेवा उपरान्त वन रक्षक की पदोन्नति छूट प्राप्त वन दरोगा की।

(2) 22 वर्ष की सेवा उपरान्त वन दरोगा/छूट प्राप्त वन दरोगा (वन रक्षक) की पदोन्नति छूट प्राप्त उप वन राजिक की होगी। बर्शेते उन्होने इस रैंक में 5 वर्ष की सेवा सन्तुष्टिपूर्वक पूर्ण कर ली हो।

(3) 30 वर्ष की सेवा उपरान्त उप वन राजिक/वन दरोगा, छूट प्राप्त वन दरोगा (वन रक्षक) की पदोन्नति छूट प्राप्त वन राजिक की होगी। बर्शेते उन्होने इस रैंक में 5 वर्ष की सेवा सन्तुष्टिपूर्वक पूर्ण कर ली हो।

(i) यह पदोन्नति के पद केवल उन्ही के लिये ही है जिनके नाम इस छूट प्राप्त पदोन्नति में है।

(ii) यह पदोन्नति होने से वो किसी भी प्रकार की वरिष्ठता या सम्बन्धित लाभ के हकदार नही होंगे।

(iii) यह सभी छूट प्राप्त पदोन्नति कर्मचारी किसी भी अपग्रेडीड पद में कन्फर्म नही होंगे।

(iv) इनकी पदोन्नति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी जब ये नियमानुसार पदोन्नति की सभी शर्ते पूर्ण करेंगे। इन पदोन्नतियों के लिए निम्न प्रकार से योग्यता होगी।

(क) जिन कर्मचारियों के पिछले 10 वर्षो का गोपनीय रिकार्ड कम से कम 70 प्रतिशत या इससे अधिक अच्छा/बहुत अच्छा/प्रकृष्ट होगा।

(ख) पिछले 10 वर्षो में कर्मचारी की ईमानदारी सन्देहजनक ना हो।

(ग) अगर किसी कर्मचारी की गोपनीय रिकार्ड में उसको पदोन्नत के लिये योग्य ना पाया गया हो तो कम से कम उस गोपनीय रिकार्ड के बाद 2 वर्ष तक पदोन्नत नही किया जायेगा।

(घ) पदोन्नति के लिये निर्धारित सेवाकाल जिस वर्ष पूरा हो रहा हो उससे 2 साल पहले कर्मचारी को किसी प्रकार की major punishment नही मिली हो।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हरियाणा, पंचकूला।

333

पृ0क्रमांकः– 3437–56 दिनांक :– 7-3-11

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार वन विभाग को उनके यादि क्रमांक 6451–व–5–2011/1311 दिनांक 3.2.2011 के संदर्भ में।
2. सर्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा।
3. सर्व मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा।
4. सर्व वन संरक्षक, हरियाणा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हरियाणा, पंचकूला।